



2026:AHC: 44026-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक अपील अंतर्गत धारा 372 द.प्र.सं. संख्या- 575/2023

चन्द्रपाल

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलकर्ता (गण) के अधिवक्ता : अनील कुमार

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता : अभिषेक मिश्रा, शासकीय अधिवक्ता

और 1 संबंधित वाद

न्यायालय संख्या-42

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा

माननीय न्यायमूर्ति प्रशान्त मिश्रा-।

1- अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार, धारा 372 द.प्र.सं. के अंतर्गत आपराधिक अपील में विपक्षी संख्या 2 से 5 के विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक मिश्रा और दोनों अपीलों में राज्य की ओर से विद्वान एजीए को सुना गया।

2- धारा 372 द.प्र.सं. के अंतर्गत वर्तमान आपराधिक अपील और शासकीय अपील, विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पोक्सो (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण) अधिनियम, जालौन स्थित उरई, जनपद जालौन द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 80 वर्ष 2022 अंतर्गत धारा 376-डी भा.द.सं. और पोक्सो (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण) अधिनियम, 2012 की धारा 5जी/6, थाना कदौरा, जनपद जालौन (राज्य बनाम नृपेंद्र राजपूत एवं अन्य) से उत्पन्न आपराधिक वाद संख्या 92 वर्ष 2022 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 04.09.2023 के विरुद्ध अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा विपक्षी संख्या 2 से 5 (धारा 372 द.प्र.सं. के अंतर्गत आपराधिक अपील में)/विपक्षी संख्या 1 से 4 (शासकीय अपील में) को दोषमुक्त कर दिया गया है।

3- एफ.आई.आर. दिनांक 10.06.2022 को अपीलार्थी अर्थात् पीड़िता के पिता, चंद्रपाल द्वारा दर्ज कराई गई थी। यह अभिकथन किया गया था कि दिनांक 09/10.06.2022 को लगभग 02:00

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पूर्वाहन (ए.एम.) पर, पीड़िता दौड़ती हुई घर आई थी और उसने अभिकथित किया था कि अभियुक्त नृपेंद्र राजपूत ने उसके साथ बलात्कार का अपराध कारित किया था और यह भी बताया था कि नृपेंद्र राजपूत के साथ जीतू, मनोज और मोहित भी थे, जिन्होंने कथित तौर पर पीड़िता को प्रथम सूचनादाता के घर से देशी पिस्तौल दिखाकर डरा-धमका कर ले गए थे। एफ.आई.आर. दर्ज होने के बाद, पुलिस सक्रिय हुई, तत्पश्चात पुलिस ने धारा 376-डी भा.द.सं. और पोक्सो अधिनियम की धारा 5जी/6 के अंतर्गत आरोप-पत्र प्रस्तुत किया और विचारण प्रारंभ हुआ।

4- अभियोजन पक्ष की ओर से, प्रथम सूचनादाता चंद्रपाल पी.डब्ल्यू. 1 के रूप में उपस्थित हुए; पीड़िता पी.डब्ल्यू. 2 के रूप में उपस्थित हुई; सिया शरण, प्रधानाचार्य पी.डब्ल्यू. 3 के रूप में उपस्थित हुए। पी.डब्ल्यू. 3 ने पीड़िता की आयु के बारे में बताया था। पी.डब्ल्यू. 4 महिला पुलिस कांस्टेबल थी, जिसने चिक रिपोर्ट सिद्ध किया था। पी.डब्ल्यू. 5 डॉ. महेंद्र कुमार वर्मा थे, जिन्होंने पुलिस द्वारा अस्पताल ले जाए जाने के बाद पीड़िता का परीक्षण किया था। पी.डब्ल्यू. 6, निरीक्षक उमाकांत ओझा विवेचना अधिकारी थे। डी.डब्ल्यू. 1 एक सतीश कुमार हैं, जो बचाव पक्ष की ओर से उपस्थित हुए। जहाँ अभियोजन साक्षियों, विशेष रूप से तथ्य के साक्षियों अर्थात् पी.डब्ल्यू. 1 और पी.डब्ल्यू. 2 ने विचारण न्यायालय को यह प्रभावित करने का प्रयास किया था कि चार अभियुक्तों द्वारा बलात्कार का अपराध कारित किया गया है, वहीं डॉक्टर ने बयान दिया था कि पीड़िता के शरीर पर कोई चोट नहीं थी और हाइमन काफी समय से फटा हुआ था तथा पीड़िता के निजी अंगों पर कोई चोट आदि बिल्कुल नहीं पाई गई थी; साथ ही संघर्ष के कोई निशान भी नहीं थे।

5- अभियुक्तों ने अपने विरुद्ध किए गए सभी अभिकथनों से इनकार किया और धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत उनके बयान अंकित किए गए।

6- डी.डब्ल्यू. 1 ने चार अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज किए गए झूठे वाद के संबंध में साक्ष्य दिया है। अभियोजन साक्षियों, विशेष रूप से डॉक्टर के बयानों के परिशीलन से, यह तर्कसंगत निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि धारा 376-डी भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध नहीं बनता था।

7- अपीलार्थी/प्रथम सूचनादाता चंद्रपाल की ओर से उपस्थित हुए विद्वान अधिवक्ता, जिन्होंने धारा 372 द.प्र.सं. के अंतर्गत अपील पर बहस किया, और राज्य की ओर से विद्वान एजीए ने तर्क प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय ने साक्ष्यों के मूल्यांकन और अभियुक्तों को दोषमुक्त करने

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



में ठुटि किया था। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि जब पीड़िता स्वयं पूरी घटना का वर्णन कर रही थी, तो यह बात बहुत कम मायने रखती थी कि डॉक्टर ने कहा था कि पीड़िता के शरीर पर कोई चोट नहीं पाई गई थी।

8- विरोध में, धारा 372 द.प्र.सं. के अंतर्गत आपराधिक अपील में विपक्षी संख्या 2 से 5 के विद्वान अधिवक्ता ने अपील का विरोध किया और तर्क प्रस्तुत किया कि जब डॉक्टर ने स्वयं साक्ष्य दिया था कि पीड़िता के शरीर पर किसी भी चोट का कोई प्रमाण नहीं था और चोटों आदि में संघर्ष का शायद ही कोई निशान दिखाई दे रहा था, तो निश्चित रूप से धारा 376-डी के अंतर्गत कोई प्रकरण नहीं बनता है। आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि चिकित्सा परीक्षण में दर्ज हाइमन की स्थिति भी यह दर्शाती है कि पीड़िता के सहमतिपूर्ण शारीरिक संबंध थे। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभिलेख पर कोई एफ.एस.एल. रिपोर्ट बिल्कुल नहीं थी।

9- डॉक्टर के बयान के परिशीलन से ही पता चलता है कि पीड़िता द्वारा एक झूठा वाद बनाया गया था। पीड़िता के शरीर पर बिल्कुल भी कोई चोट नहीं थी और संघर्ष का कोई संकेत भी नहीं मिला था। हाइमन की स्थिति दर्शाती है कि यह नया फटा हुआ नहीं था बल्कि वास्तव में कृत्य होने से बहुत पहले का था।

10- पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद और अपील की अनुमति के प्रश्न पर राज्य की ओर से विद्वान एजीए को सुनने के बाद, हमारा यह विचार है कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, पोक्सो अधिनियम-प्रथम, औरैया द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 04.09.2023 में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

11- हमारा यह भी विचार है कि शासकीय अपील अर्थात् शासकीय अपील संख्या 504 वर्ष 2023 में कोई राहत प्रदान नहीं की जानी है।

12- वाद के अपीलार्थी-सूचनादाता द्वारा दायर धारा 372 द.प्र.सं. के अंतर्गत यह अपील खारिज की जाती है।

13- साथ ही हम शासकीय अपील संख्या 504 वर्ष 2023 में अपीलार्थी को अपील की अनुमति देने के लिए इसे उपयुक्त मामला नहीं मानते हैं। तदनुसार, अपील की अनुमति चाहने वाला आवेदन अस्वीकार किया जाता है और परिणामस्वरूप, उपरोक्त शासकीय अपील भी खारिज की जाती है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



14- कार्यालय विचारण न्यायालय के अभिलेख संबंधित न्यायालय को यथाशीघ्र वापस करे।

15- इस आदेश की प्रति संबंधित न्यायालय को आवश्यक सूचना हेतु भी भेजी जाए।

23 फरवरी,

2026

ए. मंधानी

(न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा-I) (न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा)